

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

जमानत अर्जी 838/2021

निर्णय की तिथि: 22 मार्च, 2021

के मामले में:-

डॉ संदीप मौर्या

....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री मोहित माथुर वरिष्ठ
अधिवक्ता सह श्री प्रकाश,
अधिवक्ता

बनाम

राज्य

...प्रत्यर्थी

द्वारा : राज्य की अति.लो.अभि. सुश्री
मीनाक्षी चौहान
सुश्री ज़ीनत मलिक,
शिकायतकर्ता की अधिवक्ता

कोरम :

माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत भा.दं.सं. की धारा 376 और 328 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए थाना हौज़ खास में दर्ज प्राथमिकी सं. 44/2021 दिनांक 28.01.2021 में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में ज़मानत देने के लिए है।

2. अभियोक्त्री ने 28.01.2021 को शिकायत दी , जो निम्नानुसार है:-

क) उसके पिता , स्वर्गीय मुकेश कुमार को 02.01.2019 की रात को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहाँ यहाँ उल्लिखित याचिकाकर्ता ड्यूटी डॉक्टर था। प्राथमिकी में कहा गया कि उपचार के दौरान, याचिकाकर्ता अभियोक्त्री के निवास पर आया और शादी के उद्देश्य से अपनी प्रोफाइल दी और अभियोक्त्री की प्रोफाइल माँगी।

ख) यह बताया गया कि 09.06.2020 को याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री को यूसुफ सराय/गौतम नगर आने के लिए कहा ताकि वे एक-दूसरे को जान सकें।

उसने कहा कि वह लगभग 11 बजे वहाँ पहुँची। यह बताया गया कि याचिकाकर्ता ने उसे बताया कि चूंकि वह पेंटिंग और स्केचिंग में रुचि रखती है , इसलिए वह उसे अपने दोस्त के फ्लैट में ले जाएगा। यह बताया गया कि अभियोक्त्री ने उसके साथ फ्लैट पर आने पर आपत्ति जताई लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका दोस्त भी एक डॉक्टर है। उसने कहा कि जब वह डॉ. किसन के फ्लैट पर पहुँची तो उसे कोल्ड ड्रिंक दी गई जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। यह कहा गया है कि जब उसे होश आया तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। यह कहा गया है कि जब वह ठीक हो गई तो उसने महसूस किया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और जब वह याचिकाकर्ता के सामने गई तो उसे धमकी दी गई कि याचिकाकर्ता द्वारा एक वीडियो बनाया गया था और उसे वायरल कर दिया जाएगा।

ग) यह कहा गया कि 17.06.2020 को याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री को ग्रीन पार्क, यूसुफ सराय के एक होटल में बुलाया और फिर से उसके साथ बलात्कार किया।

घ) यह कहा गया कि 16.09.2020 को फिर से अभियोक्त्री को एक होटल में बुलाया गया जहाँ उसके साथ फिर से बलात्कार किया गया। शिकायत में यह कहा गया कि अभियोक्त्री को धमकी दी गई कि जो वीडियो बनाया गया था उसे वायरल कर दिया जाएगा।

ई) उसकी शिकायत पर प्राथमिकी सं. 44/2021 दिनांक 28.01.2021 को भा.दं.सं. की धारा 376 और 328 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थाना हौज़ खास में दर्ज किया गया था।

3. याचिकाकर्ता ने ज़मानत अर्जी दायर करके सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्राथमिकी की विषय वस्तु को दोहराते हुए पुलिस द्वारा स्थिति आख्या दायर की गई थी। कार्यवाही में यह प्रतिविरोध किया गया कि अभियोक्त्री के पिता को 02.01.2019 को दिल का दौरा पड़ा था और अभियोक्त्री की बहन द्वारा उन्हें अस्पताल लाया गया था और उक्त अवधि के

दौरान, अभियोक्त्री की बहन याचिकाकर्ता के साथ लगातार संपर्क में थी। उक्त आदेश में यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री की बहन से अपने दोस्त के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए अनुरोध किया था जो कि एक लैब तकनीशियन है। आदेश में अभिलिखित किया गया कि मई, 2020 के महीने में, अभियोक्त्री की बहन ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसने शादी की है और फिर उसने याचिकाकर्ता से अपनी बहन के लिए योग्य वर खोजने का अनुरोध किया। आदेश में यह अभिलिखित किया गया कि अभियोक्त्री याचिकाकर्ता से मिलने आई और उसके बाद उन्होंने यौन संबंध स्थापित किए। आदेश में यह भी अभिलिखित किया गया कि सहमति से यौन संबंध के कई उदाहरण थे और व्हाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान किया गया था। जमानत अर्जी को 06.03.2021 के एक आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच विवाह का वादा किए जाने पर यौन संबंध स्थापित किया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत नहीं दी गई थी।

4. याचिकाकर्ता ने अग्रिम ज़मानत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत एक और आवेदन दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 10.03.2021 को नोटिस जारी किया गया था। स्थिति आख्या दायर की जा चुकी है।

5. स्थिति आख्या में यह कहा गया कि जाँच के दौरान उन स्थानों से तथ्यों को एकत्र किया गया जहाँ याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री ने यौन संबंध स्थापित किए। स्थिति आख्या में यह भी कहा गया कि अभियोक्त्री की बहन का बयान अभिलिखित किया गया था और वह अभियोक्त्री के बयान से मेल नहीं खाता है। स्थिति आख्या में यह अभिलिखित किया गया कि 10.03.2021 को याचिकाकर्ता जाँच में शामिल हुआ और उसने अपना मोबाइल फोन जाँच टीम को दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अभियोक्त्री की बहन का बयान भी दायर किया गया।

6. याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहित माथुर ने कहा कि अभियोक्त्री के पिता को 02.01.2019 को भर्ती किया गया था। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी को इस

आरोप पर दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता अभियोक्त्री को 09.06.2019 को अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया जहाँ उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसने बताया कि इस कहानी को पूरी तरह से हटा दिया गया है और अब आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने शादी का वादा किया था और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बताया कि याचिकाकर्ता जाँच में शामिल हो गया है। जिस मोबाइल फोन में अभिकथित वीडियो और तस्वीरें ली गई थीं , वह पुलिस की हिरासत में है। यह कहा गया कि अभियोक्त्री और उसकी बहन के बयान मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि डॉ. किसन ने अभियोक्त्री द्वारा दिए विवरण का समर्थन नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करके कोई उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

7. दूसरी ओर , अभियोक्त्री की ओर से पेश हो रही फ़ाज़िल अधिवक्ता सुश्री ज़ीनत मलिक ने कहा कि याचिकाकर्ता जघन्य अपराध का आरोपी है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री से शादी का वादा किया और केवल शादी के वादे के कारण अभियोक्त्री और याचिकाकर्ता के बीच शारीरिक संबंध

स्थापित किए गए। उन्होंने आगे बताया कि अभियोक्त्री को अज्ञात नंबरों से अश्लील मैसेज आ रहे थे और यह सब याचिकाकर्ता के कहने पर हो रहा था।

8. राज्य के लिए उपस्थित फ़ाज़िल अति.लो.अभि. सुश्री मीनाक्षी चौहान ने भी स्थिति आख्या में दिए गए प्रकथनों को दोहराया।

9. अभिलेख पर मौजूद तथ्य से पता चलता है कि हालांकि शुरू में अभियोक्त्री उस मामले के साथ आई जिसमें उसने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने उसे नशे से लैस ड्रिंक दी और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वह होश में नहीं थी याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। इस आरोप को नकार दिया गया है और बाद में अभियोक्त्री का आरोप यह रहा कि शादी करने के वादे के आधार पर यौन संबंध स्थापित किया गया था। अभियोक्त्री के प्रारंभिक विवरण और वर्तमान विवरण के बीच विरोधाभास है। इस न्यायालय ने सभी अभिलेखों का अवलोकन किया है और शादी के किसी वादे को नहीं पाया है। कोई और तथ्य नहीं है जिसे याचिकाकर्ता से बरामद किया जाना है। यौन संबंध विवाह के वादे पर स्थापित किया गया था

या नहीं, वह विचारण का मामला है और उसे विचारण के दौरान स्थापित किया जाना है।

10. प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9

एससीसी 608 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न को माना है:-

“18. उपरोक्त मामलों से प्रकट होती कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, धारा 375 के संबंध में एक महिला की “सहमति” प्रस्तावित कार्य के प्रति एक सक्रिय और तर्कपूर्ण विचार को शामिल करती है। यह स्थापित करने के लिए कि क्या विवाह करने के वादे से उद्भूत “सहमति” को “तथ्य की गलत धारणा” द्वारा दूषित किया गया था, दो प्रस्ताव स्थापित किए जा सकते हैं। शादी का वादा अवश्य ही एक झूठा वादा था , जो कि गलत विश्वास के साथ दिया गया और उसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था जिस समय इसको दिया गया था। झूठा वादा स्वयं तत्काल प्रासंगिकता का होना चाहिए , या यौन क्रिया में संलग्न होने के महिला के निर्णय के लिए एक प्रत्यक्ष सांठगांठ वाला।

19. प्राथमिकी में आरोपों से संकेत मिलता है कि नवंबर 2009 में शिकायतकर्ता ने शुरू में आरोपी के साथ यौन संबंधों को

बनाने से इंकार कर दिया था, लेकिन शादी के वादे पर उसने यौन संबंध स्थापित किए। हालांकि, प्राथमिकी में अन्य कई आरोपों का संदर्भ शामिल है जो वर्तमान उद्देश्य हेतु प्रासंगिक है। वे इस प्रकार हैं:-

19.1 शिकायतकर्ता और अपीलार्थी एक दूसरे को 1998 से जानते थे और 2004 से अंतरंग थे।

19.2 शिकायतकर्ता और अपीलार्थी नियमित रूप से मिलते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दूर की यात्राएँ की, एक दूसरे के घरों में कई मौकों पर रहे, पाँच सालों के दौरान नियमित रूप से संभोग करते रहे और कई मौकों पर एक साथ अस्पताल यह जाँच करवाने के लिए गए कि क्या शिकायतकर्ता गर्भवती थी।

19.3 अपीलार्थी ने 31-1-2014 को शिकायतकर्ता से शादी करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की। इससे उनके बीच बहस हुई। इसके बावजूद, अपीलार्थी और शिकायतकर्ता मार्च 2015 तक संभोग करते रहे।

20. अपीलार्थी सीआरपीएफ में एक डिप्टी कमांडेंट है जबकि शिकायतकर्ता बिक्री कर की सहायक आयुक्त है।

21. प्राथमिकी के आरोप प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं दर्शाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया वादा गलत था, या शिकायतकर्ता ने इस वादे के आधार पर यौन संबंध स्थापित किए थे। प्राथमिकी में कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से शादी करने का वादा किया हो, यह बुरे विश्वास से या उसे धोखा देने के इरादे से किया गया था। 2008 में किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए 2016 में अपीलार्थी की मनाही का मतलब यह नहीं माना जा सकता कि किया गया वादा गलत था। प्राथमिकी के आरोपों से इंगित होता है कि शिकायतकर्ता को 2008 से पता था कि अपीलार्थी से शादी करने के लिए बाधाएँ थी, और यह कि उसका और अपीलार्थी का उनके विवाहित होने के बाद भी लंबे समय तक यौन संबंधों को बनाए रखना एक विवादित मामला बना। इसके बाद भी, शिकायतकर्ता अपीलार्थी के साथ उसकी तैनाती वाली जगह गई और उसके साथ रही और उसे अपने निवास पर सप्ताहांत बिताने की अनुमति दी। प्राथमिकी में आरोप इस मामले

को झूठा साबित करते हैं कि उसे अपीलार्थी द्वारा विवाह के वादे से धोखा दिया गया था। इसलिए, यद्यपि शिकायतकर्ता के बयानों में निर्धारित तथ्यों को सम्पूर्णता से स्वीकार किया जाता है तो भा.दं.सं. की धारा 375 के तहत कोई अपराध नहीं हुआ है।

11. अभियोक्त्री एक मेकअप कलाकार है और दिल्ली की निवासी है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वह एक भोली महिला है। यह ज़बरदस्ती यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। इस मोड़ पर, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री से शादी का वादा किया था और इसलिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए अभियोक्त्री द्वारा दी गई सहमति एक स्वतंत्र सहमति थी या नहीं इसको केवल विचारण में तय किया जाएगा।

12. याचिकाकर्ता सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाला एक डॉक्टर है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह अभियोक्त्री को भयभीत करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में होगा। साक्ष्य को एकत्र किया गया है , याचिकाकर्ता का मोबाइल फोन पुलिस के पास है। उपरोक्त के मद्देनज़र , यह

न्यायालय भा.दं.सं. की धारा 376 और 328 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थाना हौज़ खास में दर्ज प्राथमिकी सं.

44/2021 दिनांक 28.01.2021 में गिरफ्तारी की स्थिति में निम्नलिखित शर्तों पर याचिकाकर्ता को ज़मानत देना उचित और समीचीन पाता है:-

- क) याचिकाकर्ता 50,000/- रुपये की राशि का एक मुचलका समान राशि के प्रतिभू के साथ जो याचिकाकर्ता के रिश्तेदार का होना चाहिए को विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करेगा।
- ख) याचिकाकर्ता को अपने सभी मोबाइल नंबर जाँच अधिकारी को देने और उन्हें हर समय कार्यात्मक रखने का निर्देश दिया जाता है।
- ग) याचिकाकर्ता अपना पता जाँच आधिकारी को देगा और यदि वह अपना पता बदलता है तो वह उसकी जानकारी जाँच अधिकारी को देगा।
- घ) याचिकाकर्ता प्रत्येक सोमवार को संबंधित थाने को रिपोर्ट करेगा।

ड) याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या अभियोक्त्री पर दबाव नहीं डालेगा।

13. यह स्पष्ट किया गया और यह कहने की आवश्यकता नहीं है इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत देने के उद्देश्य से हैं न कि मामले के गुणागुण पर।

14. तदनुसार , ज़मानत आवेदन का लंबित आवेदन(ओं) के साथ यदि कोई हों तो निपटान किया जाता है।

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

22मार्च, 2021

राहुल

(Translation has been done through AI Tool:
SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय

का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी
जाएगी।

